214

संख्या–444 / XVIII-(2)/F/13-12(4)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास देहरादूनः दिनांक 19 जून, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के समस्त जनपदों में दिनांक 15.06.2013 से लगातार हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत अतिवृष्टि से प्रभावितों में तत्काल राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान, कृषि इनपुट सब्सिडी, आपदा राहत शिविर संचालन, खोज–बचाव कार्यो इत्यादि मदों के अंतर्गत धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के समस्त जनपदों में दिनांक 15.06.2013 से लगातार हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत अतिवृष्टि से प्रभावितों में तत्काल राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान, कृषि इनपुट सब्सिडी, आपदा राहत शिविर संचालन, खोज–बचाव कार्यो इत्यादि मदों हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹ 15.00 करोड़ (₹ पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में शासनादेश संख्या–344/XVIII-(2)/12-4(27)/2010, दिनांक 28 जून, 2012 के माध्यम से कुछ राहत मदों में सहायता राशि बढ़ा दी गई है। जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

3– भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–32-7/2011-NDM-I, दिनांक 16 जनवरी, 2012 एवं संख्या–32-3/2012-NDM-I, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये है। जिसकी प्रति पूर्व में आपको प्रेषित करा दी गई है। जिन दरों को राज्य सरकार द्वारा उक्त शासनादेश के माध्यम से पुनरीक्षित कर दिया गया है, उन मदों में राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित राहत सहायता ही उपलब्ध करायी जायेगी। शेष मदों में केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित दरों पर राहत सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, कृषि इनपुट सब्सिडी, आपदा राहत शिविर संचालन, खोज–बचाव कार्यो की मदों में ही नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

5– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर संबन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

कृपया-2

6– स्वीकृत धनराशि का वितरण तत्परतापूर्वक कराया जायेगा, जिससे प्रभावितों में शीघ्रातिशीघ्र राहत राशि का वितरण सुनिश्चित हो सके।

7– प्रभावितों की सम्यक पहिचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जाये। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर संबन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

9– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2014 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

10– अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में कोषागार नियम–24 के अंतर्गत धनराशि का तभी आहरण किया जाए, जब जनपद के पास इस मद में कोई धनराशि उपलब्ध न हो एवं धनराशि का तत्काल वितरित किया जाना आवश्यक हो। आहरित धनराशि प्रत्येक दशा में तीन दिन के अन्दर वितरित कर दी जाए।

11– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13 आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–**39** NP/वित्त अनु0–5/2013 दिनांक 18 जून, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–444(1)//XVIII-(2)/13-12(4)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

शासनादेश संख्या–444/XVIII-(2)/2013-12(4)/2013, दिनांक 18 जून, 2013 का संलग्नक

क्र.सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	उत्तरकाशी	2.00
2.	रूद्रप्रयाग	2.00
3.	अल्मोड़ा	1.00
4.	नैनीताल	1.00
5.	चम्पावत	1.00
6.	उधमसिंहनगर	1.00
7.	देहरादून	1.00
8.	हरिद्वार	1.00
9.	टिहरी गढ़वाल	1.00
10.	चमोली	1.00
11.	बागेश्वर	1.00
12.	पिथौरागढ़	1.00
13.	पौड़ी गढ़वाल	1.00
	कुल योग	**15.00**

(कुल ₹ पन्द्रह करोड़ मात्र)

(भास्करानन्द)
सचिव